

सेवा में,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी /
पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि.,
पुहाना तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार ।

श्री प्रवीण,
उच्चतर देयार के,
म.ग.के.
21/10/2023

विषय :: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु ।

महोदय,

निम्न बिन्दुओं पर चाही गई सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें -

01. महाराजपुर कला निरंजनपुर डगरपुर केवलपुरी दरगाहपुर आदि गांवों के प्रभावित किसानों ने श्रीमान् जिलाधिकारी हरिद्वार को अपनी मांगों का यापन दिनांक 19.11.2014 को सौंपा था जिसमें प्रभावित किसानों का नुकसान होने वाले वृक्षों एवं फसलों का अधिक मुआवजा देने की मांग की थी उक्त मांग के सम्बन्ध में पावर ग्रिड ने विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर क्षतिपूर्ति का जो मुआवजे का भुगतान किया गया है उसकी प्रमाणित चार कापी देने की कृपा करें ।
02. वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 जितने भी किसानों को क्षतिपूर्ति के मुआवजे का भुगतान किया गया है (सभी प्रकार के वृक्ष) उसकी प्रमाणित 4 प्रतियां उपलब्ध कराने की कृपा करें ।
03. प्रथम अपीलीयी अधिकारी का नाम व पता उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

दिनांक : 21.10.2023

संलग्न :: भारतीय पोस्टल आर्डर

50.00	95 @	570258
14.00	1 D	222170-71
4.00	2 B	834267-68
2.00	21	38 82 67.68
70.00		

प्रार्थी

(महेश चन्द्र)

पुत्र श्री हीरा बल्लभ,
नि.ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी,
पो.ओ. धनौरी, तह. काशीपुर
जिला ऊ.सिंह नगर-244713
मो.नं. 6397497668

पावर ग्रिड, रुड़की
प्राप्ति
क्र. 254
दिनांक 21/10/23

10/11/23

पावरफिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की अल्पवय सीमा (अवसाधक) से विद्युत पारिधायन लाइन के निर्माण कार्य में आ रहे परिवर्ध को पूरा करने के मुख्यतः पावरफिड अधिकारियों एवं प्रभावित किसानों को 27/12/14, लखनऊ का मार्ग चुना।

1. पावरफिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड काशीपुर से रुड़की तक 400 की वी पावरलाइन का निर्माण कार्य करा जा रहा है। इस क्रम में यह पावरलाइन लखनऊ एवं रुड़की तहसील से गुजर रही है। निर्माण के समय फसलों पर नुकसान की शक्ति हो रही है जिसका भुगतान पावरफिड को प्रभावित व्यक्तियों को करना है।
2. महाराजपुर कला, निजमपुर, सुगरपुर, गोवलापुरी, बहालपुर, दरगाहपुर आदि गाँवों के प्रभावित किसानों ने मानक जिलाधिकारी, हरिद्वार को अपनी मांगों का ज्ञापन दिनांक 19/11/14 को रखा था, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों से नुकसान होने वाले वृक्षों एवं फसलों का अधिक मुआवजा देने की मांग की थी।
3. उक्त मांग को सम्बन्ध में पावरफिड प्रबंधन ने विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर क्षतिपूर्ति का निम्न प्रकार से भुगतान का फैसला किया है।

(क) वृक्षों का भुगतान
(1) फलदार वृक्ष

क्र०सं०	वृक्षों की जाति	मूल्य, पाँच वर्ष से कम उम्र वाले वृक्ष	मूल्य, पाँच वर्ष से अधिक उम्र वाले वृक्ष
1.	आम	5000/-	31250/-
2.	आम्रुत	4500/-	11250/-
3.	अमरूद	2500/-	5000/-

(ii) गैर फलदार वृक्ष

क्र०सं०	वृक्षों के प्रकार	वृक्ष का मूल्य, व्यास 18" से कम	वृक्ष का मूल्य, व्यास 18" से अधिक
1.	शोशम, जमोया, सागौन, साल	10,000/-	34750/-
2.	टून	6063/-	14750/-
3.	नीम, इमली	2500/-	8625/-
4.	बबूल एवं अन्य	2500/-	5000/-
क्र०सं०	वृक्षों के प्रकार	वृक्ष की परिधि-18" से कम	वृक्ष का मूल्य, परिधि 18" से अधिक
		2500/-	5000/-

नोट :- जिन वृक्षों की आयु एक वर्ष से कम होगी उनका मूल्य हरिद्वार जन विभाग कोट लिस्ट के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

जायेगा।
[Signature]

[Signature]
Mohan Singh
Advocate

इश्वर चन्द सेनी

- (19) चार खींचने की चेन में ती पलकें बंध होगी, चारों पिंड उनका मुआवजा एकर के 100 से दोनो ओर 15 15 मीटर अवधित गुन 40 मी0 चौड़ाई में कराती के मुकदाम की भाषाई एक बाच ही करेगा एष यह मुआवजा एक वार के लिये मान्य होगा।
- (20) पावर पिंड द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त भुगतान की शर्तों की चौड़ाईपूर्ण वातावरण में बदलाव किया गया।

~~श्री. राजेश कुमार शैली डाला के वकील~~

गौड डुंगेपुर, पो. गिरौलपुर

श्री. मुलेश शैली उप उपधारणी डुंगेपुर

8/1 श्री गोलब्रामोई डुंगेपुर

श्री. कल्याण अकोटा शुद्ध

श्री. राजेश कुमार श्री श्री राजेश शैली

श्री. अकोटा

श्री. राजेश शैली

Moh Kan Singh &
Advocate

श्री. राजेश अकोटा शुद्ध

श्री. कल्याण अकोटा शुद्ध

10/12
श्री. राजेश शैली
अकोटा, गौडपुर

श्री. राजेश शैली
अकोटा, गौडपुर

श्री. राजेश शैली
अकोटा, गौडपुर

16
20/10

श्रीगणेश

श्रीमान लीलाशंकरजी अष्टिकारी

पुणर विस कार्यालय आनसठिया विस

पुणे - नक्षीत मंगलपुर

सावर ४०

अष्टिकार

